प्रेस नोट
दिनांक 24.04.2025, थाना वजीरगंज,
जनपद गोण्डा।

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, चोरी की 01 अदद इंजन(पम्पसेट) बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0- 111/2025, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्तों 01. इन्द्रजीत सिंह, 02 तारिक अहमद को कोडर मोड थाना वजीरगंज के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का 01 अदद इंजन(पम्पसेट) बरामद कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.04.2025 को वादी श्री विशाल पुत्र रमेश कुमार पासवान निवासी ग्राम चन्दापुर, थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना वजीरगंज पर सूचना दी गई कि दिनांक 19.04.2025 को उसका पम्पसेट खेत में सिचाई हेतु लगा था कि रात्रि 11.00 बजे पम्पसेट को विपक्षीगण इद्रजीत व तारिक अहमद द्वारा खोलकर चोरी कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में मु0अ0स0- 111/2025, धारा 303(2) बीएनएस बनाम इन्द्रजीत व तारिक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान आज दिनांक 24.04.2025 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा नामजद आरोपी अभियुक्तों 01. इन्द्रजीत सिंह, 02 तारिक अहमद को कोडर मोड के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का 01 अदद इंजन(पम्पसेट) बरामद कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विवेचना में धारा 317 बीएनएस की बढोत्तरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री रामअवध सिंह निवासी ग्राम चन्दापुर नगरी थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।
02. तारिक अहमद पुत्र स्व0 शुवराती निवासी ग्राम नेवातीपुर, थाना कोतवली अयोध्या, जनपद अयोध्या।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0- 111/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना- वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. चोरी का 01 अदद इंजन(पम्पसेट) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कैलाशनाथ
02. हे0का0 रावत यादव
03. हे0का0 जितेन्द्र यादव
04. का0 सुशील सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।